भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2688

(16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का सीधा भुगतान

2688. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत मजदूरी के सीधे भुगतान के लिए कोई ग्रीन चैनल नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप विलंब होता है और राज्य सरकार की प्रक्रियाओं पर निर्भरता बढ़ जाती है;

(ख) क्या सरकार का वित्तीय स्वतंत्रता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सामग्री घटक को छोड़कर श्रमिकों को मजदूरी का समय पर सीधा भुगतान करने के लिए एक समर्पित तंत्र या ग्रीन चैनल बनाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के तंत्र के माध्यम के बिना लाभार्थियों को मजदूरी के सीधे भुगतान को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार श्रम घटक भुगतान को राज्य की प्रक्रियाओं से अलग करने पर विचार करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य स्तर पर प्रशासनिक विलंब के कारण गरीब ग्रामीण मज़दूरों को परेशानी न हो; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ङ): सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत मजदूरी का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनईएफएमएस) के माध्यम से एक समर्पित तंत्र स्थापित किया है। यह प्रणाली केंद्रीय सरकार को मजदूरों के बैंक या डाकघर खातों में मजदूरी घटक

सीधे स्थानांतरित करने में सक्षम बनाती है। निधि के प्रवाह में मध्यवर्ती स्तरों को समाप्त करके, एनईएफएमएस त्वरित, पारदर्शी और कुशल मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करता है, जिससे कार्यक्रम के भीतर वित्तीय स्वतंत्रता और जवाबदेही सुदृढ़ होती है।

श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रोटोकॉल के माध्यम से किया जाता है, जिसके तहत भुगतान सीधे केंद्रीय सरकार द्वारा लाभार्थियों के खातों में जमा किए जाते हैं, जो संबंधित राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा सृजित निधि हस्तांतरण आदेशों पर आधारित होते हैं। मजदूरी भुगतान को और अधिक सुगम बनाने के लिए आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) शुरू किया गया है। एपीबीएस बेहतर लक्ष्यीकरण, प्रणाली की दक्षता बढ़ाने, भुगतान में देरी को कम करने, लीकेज को रोककर अधिक समावेशन सुनिश्चित करने और इस प्रकार व्यय को नियंत्रित करने तथा अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद करता है।

एपीबीएस खातों के बार-बार बदलने के कारण लेनदेन अस्वीकृति को कम करने में भी मदद करता है। दिनांक 11.12.2025 तक, कुल 12.16 करोड़ सक्रिय श्रमिकों में से 99.67% सक्रिय श्रमिकों (यानी 12.12 करोड़) का आधार सीडिंग पूरा हो चुका है और 99% से अधिक मजदूरी पाने वाले अपनी मजदूरी सीधे अपने बैंक खातों में प्राप्त कर रहे हैं।

मजदूरी भुगतान घटक को राज्य प्रक्रियाओं से अलग करने के संबंध में यह उल्लिखित है कि सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनईएफएमएस) को कार्यान्वित कर दिया है, जो कि राज्य स्तरीय प्रशासनिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली देरी से संबंधित चिंताओं का प्रभावी रूप से समाधान करती है। एनईएफएमएस मध्यवर्ती अनुमोदन स्तरों को समाप्त करके और विभिन्न स्तरों पर निधि की पार्किंग को रोककर निधि प्रवाह तंत्र को सुचारू बनाता है। इस केंद्रीकृत मंच के माध्यम से निधि के उपयोग और भुगतान की स्थिति की बेहतर निगरानी के साथ एनईएफएमएस सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण श्रमिकों को उनकी मजदूरी का समय पर और कुशल वितरण हो सके।

*****